

सशोधित डिकी बमूकदमें इबादाई राजस्व लोक अदालत अभियान  
(आदेश 20 नियम 6.7 जाब्ता दीवानी) न्याय आपके द्वार-2018  
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-जोचीणा  
मु0न0 08/2018

1. सोहनराम  
2. भुराराम  
3. अर्जुनराम  
4. नानुराम  
5. लिखमाराम  
6. शंकरराम पुत्रगण अमराराम जातियान कुम्हार निवासी टालनियाउ तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

वादीगण-

1. भंवरी  
2. अनोप  
3. सोनी  
4. चुका  
5. संजु  
6. हरकी पुत्रिया अमराराम जातियान कुम्हार निवासीगण टालनियाउ तहसील जायल जिला नागौर।  
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88  
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-16.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुदम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

- वादी संख्या 1 सोहनराम के हक बंट में मौजा टालनियाउ का खेत ख नं 148 रकबा 111 बीघा में से 25 बीघा नजरीनक्शानुसार, ख नं 375/182 रकबा 19.07 बीघा मे से 4.03 बीघा नजरीनक्शानुसार जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- वादी संख्या 2 भुराराम के हक बंट में मौजा टालनियाउ का खेत ख नं 148 रकबा 111 बीघा में से 11.11 बीघा नजरीनक्शानुसार, ख नं 183 रकबा 6 बीघा पुरा , ख नं 375/182 रकबा 19.07 बीघा मे से 2 बीघा नजरीनक्शानुसार , ख नं 376/182 रकबा 19.06 बीघा में से 9.02 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- वादी संख्या 3 अर्जुनराम के हक बंट में मौजा टालनियाउ का खेत ख नं 148 रकबा 111 बीघा में से 29.03 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- वादी संख्या 4 नानुराम के हक बंट में मौजा टालनियाउ का खेत ख नं 148 रकबा 111 बीघा में से 15.03 बीघा नजरीनक्शानुसार, ख नं 376/182 रकबा 19.06 बीघा में से 4.04 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- वादी संख्या 5 लिखमाराम के हक बंट में मौजा टालनियाउ का खेत ख नं 148 रकबा 111 बीघा में से 29.03 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- वादी संख्या 6 शंकरराम के हक बंट में मौजा टालनियाउ का खेत ख नं 376/182 रकबा 19.06 बीघा में से 6 बीघा नजरीनक्शानुसार , ख नं 375/182 रकबा 19.07 बीघा में से 13.04 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- वादी संख्या 2 भुराराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के सामलाती हक बंट में मौजा टालनियाउ का खेत ख नं 377/182 रकबा 0.10 बीघा गैर मुमकीन आबादी रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- मौजा टालनियाउ का खेत ख नं 148 रकबा 111 बीघा में से 1 बीघा नजरीनक्शानुसार मार्क ऐवीसी के अनुसार 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्थान सरकार तहसीलदार जायल के पक्ष में घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर

तहसीलदार जायल को डिक्री पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।  
लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल  
x को अदा करें। बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25.05.2018 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल  
जायल, जिला नागौर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दवा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबित मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीषनर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमी"नर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिंक		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल  
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- जोचीणा  
क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/376

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक सशोधित डिक्री आ  
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी, जायल

उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर